

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2024/ 86

दिनांक 11/01/2024

प्रार्थी :-

1. मगा पुत्र रामा, जाति मेगवाल  
निवासी अली की बस्ती,  
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर

विप्रार्थीगण:-

1. आलम पुत्र एहसान 2. इस्माल 3. दीनू पि.होता 4. धनी पत्नि होता,  
जातियान मुसलमान, निवासी अब्दुला का तला 5. नीम्बराज  
6. सत्यपाल 7. हेमन्त कुमार पि. चेनाराम, जाति जाट,  
8. लूणा पुत्र सेडानराम, जाति मेघवाल, निवासी बूठ राठौड़ान  
9. चिमा पुत्र पूनमा 10. खेता पुत्र सजन, जाति भील, 11. नरपतदान पुत्र  
सगतीदान, जाति चारण, निवासी बूठ राठौड़ान, तहसील चौहटन,  
जिला बाड़मेर 12. तहसीलदार चौहटन

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम  
वास्ते करने नेखमबंदी बाबत ।

राजस्व आवेदन सं. 164/2022

दिनांक : 11.01.2024

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र बूठ राठौड़ान के मौजा अली की बस्ती के खेत खसरा सं. 741/321 रकबा 06.6530 हेक्टर भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमि की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करें।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितो पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है। प्रार्थी कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।



क्रमांक/भू.अ./2024/ 87 to 90

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थी माता
3. विप्रार्थीगण आलम वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड़/धौरीमन्ना/धनाऊ

उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
चौहटन OK

दिनांक 11/01/2024



( सूरजभान विशनोई )

उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
चौहटन OK

चौहटन